न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—42/2011/225 (2011/00009)

राधेश्याम पुत्र कल्याणमल (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. श्रीमती कैलाशीदेवी पत्नि राधेश्याम,
2. पवन पुत्र राधेश्याम,
3. त्रिलोक पुत्र राधेश्याम,
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. शिवकान्ता पुत्री राधेश्याम पत्नि गिरीराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दूदू, जिला जयपुर ।
5. ममता पुत्री राधेश्याम पत्नि पीयूष, जाति ब्राहमण, निवासी रायला, जिला भीलवाडा ।
6. मीना पुत्री राधेश्याम पत्नि मनीष शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामपाल पुत्र गुलजारीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि रामपाल,
   1/2— राजू पुत्र रामपाल,
   1/3— मंजू उर्फ काना पुत्री रामपाल,
   1/4— सोनू पुत्री रामपाल,
   1/5— मधुबाला पुत्री रामपाल,
   1/6— मोना पुत्री रामपाल,
   1/7— सरोज पुत्री रामपाल,
   1/8— शशिबाला उर्फ कपूडी पुत्री रामपाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 9.2.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 57/2010.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8 .

निर्णय

दिनांकः— 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 9.2.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर कथन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा स्थित आराजियात वर्किंग खसरा नबर 3086 आधारभूत खसरा नंबर 1492/5034 रकबा 00–00–10 चाह, खसरा नंबर 3088 आधारभूत खसरा नंबर 1492/5035 रकबा 0–4–00 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 3092 मिन आधारभूत नंबर 1495/5039 रकबा 0–12–10 किस्म चाही प्रथम तथा 3087 आधार भूत नंबर 1492/6500 रकबा 0–2–00 किस्म गै0मु0 मंदिर वादी/अपीलांट की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जो चाह खसरा नंबर 3086 से सिंचित होती आ रही है । उक्त भूमि से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 का कोई लेना देना नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 की शह पर रेस्पो0 संख्या 2 से 6 आये दिन अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करते है तथा मंदिर के पास लगाये गये पौधों को उखाड़ कर फेंक देते है और आये दिन अपीलांट को धमकी देते है कि तुम्हें बेदखल करेंगे और अपीलांट के कुएं से जबरन खुद की भूमि की सिंचाई करना चाहते है। यदि रेस्पो0 को पाबंद नहीं किया गया तो अपीलांट अपनी तन्हा खातेदारी भूमि से महरूम हो जावेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 12.4.2004 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । इस आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 27/2004 प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2005 को निरस्त कर दी गई । जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने मान0 राजस्व मण्डल में निगरानी टी0ए0 संख्या 5425/2005 पेश की जो दिनांक 20.3.2006 को स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट ने मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 2664/2006 राधेश्याम बनाम मान0 राजस्व मण्डल वगैरह पेश की जिसमें मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.4.2006 को यथास्थिति का आदेश पारित कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए । तत्पश्चात् दिनांक 15.9.2006 को मात्र माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.6.2006 की क्रियान्विति स्थगित करने के आदेश पारित किऐ । इसी दौरान रेस्पो0 ने अपीलांट की तन्हा खातेदारी की आराजियात के आंशिक भाग पर जबरन अतिक्रमण कर नीवं खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया तब अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 57/2010 पेश कर रेस्पो0 को निर्माण कार्य करने से पाबंद करने हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया तत्पश्चात् रेस्पो0 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 15/2004 निर्णित किया जा चुका है । अतः पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे । अधी0 न्याया0 ने आदेश दिनांक 9.2.2011 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधी0न्याया0 द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान मात्र वाद पर लागू होते है, राजस्व प्रकरणो में वाद पत्र के अतिरिक्त प्रार्थना पत्रों पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नही होते है ।· अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । धारा 141 जा0दी0 के प्रावधान राजस्व प्रकरणों में लागू नहीं होते है जो स्वंय धारा 141 जा0दी0 से ही सिद्ध है जिसमें उक्त प्रावधान मात्र सिविल न्यायालय के समक्ष अथवा सिविल वाद में ही लागू होते है अर्थात् व्यवहार वाद के संलग्न प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों पर लागू होंगे । राजस्व व फौजदारी प्रकरणों पर धारा 141 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों को सिविल वाद की भांति राजस्व प्रकरणों में भी लागू होना मानकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतत्र है, कतई गलत अंकित किया है क्योंकि अधी0न्याया0 ही सक्षम न्यायालय है क्योंकि वर्तमान में उनके समक्ष ही नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जिसकी पत्रावली मान0 राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित की गई है । अर्थात् अधी0न्याया0 द्वारा नियमित राजस्व वाद का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है जिससे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी में ही निहित था । अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने से रेस्पो0 को पाबंद किया गया था लेकिन उक्त निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.6.2006 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने से उक्त निर्णय में मर्ज हो गया फिर भी पूर्व में पारित निर्णय मात्र रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत् था जिसमें निर्माण कार्य करने से पाबंद नहीं किया गया था एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र रेस्पो0 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य हेतु पाबंद करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार पूर्व एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र मं चाहा गया अनुतोष भिन्न भिन्न है । विवादित आराजियात अपीलांट की तन्हा खातेदारी की भूमि होकर काबिज काश्त चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है तथा अपीलांट तन्हा काबिज काश्त होने के बावजूद यदि रेस्पो0 को पाबंद नहीं किया गया तो अपीलांट की भूमि पर रेस्पो0 जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लेगें जिससे अपीलांट खातेदारी भूमि के आंशिक भाग से महरूम हो जावेगा जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अपीलांट की खातेदारी आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर भूमि की शक्ल परिवर्तित नहीं करने, दखलदांजी नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट द्वारा पूर्व में भी विवादित आराजियात बाबत् प्रार्थना पत्र संख्या 15/2004 धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 12.4.2004 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 14.10.2005 द्वारा निरस्त की गई थी जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा मान0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई जो निर्णय दिनांक 20.3.2006 को स्वीकार की गई । मान0मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई जिसमें मान0 उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया जाकर याचिका विचाराधीन है । इस प्रकार अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में समान पक्षकार समान विषयवस्तु एवं उक्त वर्णित आरायिजात का प्रकरण संख्या 15/2004 दिनांक 12.4.2004 को निर्णित हो चुका है इस कारण अब अपीलांट द्वारा पुनः इन्हीं आराजियात बाबत् नवीन प्रार्थना पत्र समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद बाबत् पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट राधेश्याम ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र 15/2004 धारा 212 राज0काश्त0अधि0 रेस्पो0 के रामपाल के विरूद्ध पेश किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 12.4.2004 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट राधेश्याम का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3086, 3088, 3092 मिन एवं 3087 पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वंय अथवा जरिये एजेन्ट नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 रामपाल द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 27/2004 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 14.10.2005 द्वारा खारिज की गई । न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.10.2005 के विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 रामपाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी टी.ए. संख्या 5425/2005/अजमेर रामपाल बनाम राधेश्याम पेश की गई । मान0 मण्डल ने निर्णय दिनांक 20.3.2006 द्वारा निगरानीकर्ता रामपाल की निगरानी स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया । मान0 मण्डल के निर्णय दिनांक 20.3.2006 के विरूद्ध अपीलांट राधेश्याम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट पीटिशन संख्या 2664/2006 पेश किये जाने पर मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.9.2006 द्वारा मान0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.2006 को स्थगित कर दिया ।

7. अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 57/2010 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया जिसमें अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की विवादित तन्हा खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण नहीं करने, भूमि की शक्ल परिवर्तित नहीं करने, नींव नहीं खोदने, तथा निर्माण कार्य नहीं करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 9.2.2011 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना खारिज किया है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पीटिशन संख्या 2664/2006 में दिनांक 15.9.2006 को आदेश पारित कर मान0 राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 20.3.2006 को स्थगित किया है जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र संख्या 15/2004 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 12.4.2004 वर्तमान में प्रभावी है । अब पुनः इन्हीं आराजियात बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 पर आदेश दिया जाना उचित नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.2.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर